उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

वर्ष 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका तथा वर्ष 2025–26 का आय–व्ययक

(माह 12 फरवरी, 2025 तक)

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन	3
2.	विभाग के मूल उद्देश्य	4
3.	विभाग के अन्तर्गत गठित निदेशालय, आयोग, बोर्ड एवं समितियां	4-10
4.	अल्पसंख्यकों हेतु मुख्य कल्याणकारी योजनायें	11-27
5.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित योजनाऐं	28-32
6.	महत्वपूर्ण कार्यो/लक्ष्यों का विवरण	32-33
7.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रशासनिक ढाँचा	33-40

प्राक्कथन

''भारत का संविधान'' में देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी दिया गया है।

2. अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रतिबद्व हैं।

दिनांक : फरवरी, 2025

धीराज सिंह गर्ब्याल
सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

विभाग के मूल उद्देश्य

1. राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक–वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक–स्तर में गुणात्मक–सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के अन्य वर्गों की बराबरी के स्तर पर लाना है।
2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें आधुनिक विषयों यथा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सकें।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन–मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यवसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन भी किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्व है।

विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न निदेशालय, निगम, आयोग, बोर्ड एवं समितियां

1. निदेशालय अल्पसख्य्क कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विभागान्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या–1183/XVII-3/11-07(63)/2006 दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–510/XXXI(1)/2002 देहरादून दिनांक 24 अप्रैल, 2012 द्वारा पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, ताकि अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कार्य किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹169.82 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक ₹112.77 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

2. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनॉक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया तथा आयोग ने दिनांक 29 सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपने गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है। उक्त कालखण्ड में आयोग ने अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए कार्य किया गया है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्यः–

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यॉकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।
3. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होनें वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

वित्तीय वर्ष	कुल शिकायती प्रकरण	निस्तारित
2021–22	100	65
2022–23	106	54
2023–24	120	109
2024–25	53	34

3. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कड़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यवासायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।

राज्य के मदरसों की मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2005 तक उ0प्र0 मदरसा बोर्ड द्वारा ही किया जाता था। राज्य के मदरसों को मान्यता देने एवं मदरसों की परीक्षा कराने के उद्देश्य से **मदरसा अरबी फारसी बोर्ड** की स्थापना की गई। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड को विधिवत् स्थापित किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मदरसा

शिक्षा परिषद् अधिनियम 2006, 31 मार्च, 2016 को प्रख्यापित करते हुए **''उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्,''** का विधिवत् गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹127.75 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक ₹50.84 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा किये गये कार्य/उपलब्धियां

1. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा बोर्ड गठन से अभी तक प्रदेश के मदरसों को विभिन्न स्तर की मान्यताऐं प्रदान की गई, जिनमें तहतानिया–205, फौकानिया–160, मुंशी/मौलवी–32, आलिम–12 तथा उच्च आलिया–06 हैं, कुल विभिन्न स्तरों की 416 मान्यताऐं प्रदान की चुकी है।
2. प्रदेश में अरबी फारसी बोर्ड परीक्षा 2023–24 का सफल संचालन किया गया, जिसमें कुल 1836 परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिनका परीक्षाफल 96.23 प्रतिशत रहा।
3. परिषद् से मान्यता प्राप्त/संचालित 98 मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है, जिससे मदरसों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।
4. अरबी फारसी परीक्षा 2024–25 के फार्मों का पंजीकरण ऑनलाईन कराया जा रहा है।
5. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून के समस्त मान्यता प्राप्त मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा सुचारू रूप से प्रदान की जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्र/छात्राऐं प्रदेश की मुख्य धारा में सम्मिलित होते हुए मदरसों में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी प्राप्त करने लगे है।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम–अप्रैल, 2024 एवं अगस्त, 2024 के अन्तर्गत मदरसों के छात्र–छात्राओं को कृमि मुक्ति दवा ''ऐल्बेन्डाजॉल'' का सेवन कराया गया तथा मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अनीमिया की बीमारी से बचाने हेतु कार्य किया गया।
7. वित्तीय वर्ष 2024–25 में सी.एम. हैल्पलॉईन पर दर्ज कुल 07 शिकायतों का ससमय निस्तारण किया गया।
8. मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिषद् की 16वीं व 17वीं बैठक आहूत की गयी, जिसमें विभिन्न निर्णय लिये गये। परिषद् की उप समितियों का गठन भी किया गया।
9. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त 246 मदरसों को पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित किया जा रहा है।

5. उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान कलियर, रूड़की।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत हज कमेटी एक्ट 2002 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हज समिति का विधान सभा में पारित उत्तरांचल राज्य हज समिति विधेयक 2002 के समिति अधिनियम 1959 की धारा–18 के अधीन उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 529/स0क0/ 02–87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से गठन किया गया। उत्तरांचल राज्य हज समिति द्वारा 18 फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 14 सदस्य नामित किये जाते है। वर्ष 2022 में राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 11 सदस्य नामित किये गये हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा हज यात्रा संचालित करने वाला राज्य का नोडल विभाग है। राज्य के तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य एवं केन्द्रीय हज समिति के साथ समग्र समन्वय का कार्य उत्तराखण्ड हज समिति द्वारा किया जा रहा है। हज अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए जेद्दाह में हज यात्रियों को समुचित चिकित्सा सुविधा, मार्ग निर्देशन आदि का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु हज यात्रा हेतु नामंकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है तथा सम्भवत् माह जून–जुलाई में प्रारम्भ कर दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹115.55 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक ₹34.39 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड राज्य मे हज यात्रा पर गये हाजियों की संख्या का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं	वर्ष	आवंटित कोटा	प्राप्त आवेदन पत्र	हज यात्रा पर गये आवेदक
1	2022	485	707	564
2	2023	1468	1718	1530
3	2024	1152	1165	1043
4	2025	1001	1011	**चयनित हज आवेदक माह मई 2025 में हज यात्रा पर जाने है।**

6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल)

पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹190.82 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक ₹137.87 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

7. उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।

राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डों की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान में वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹200 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

- उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड कार्यालय में ई–ऑफिस साफ्टवेयर का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा सर्वसामान्य द्वारा उक्त पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।
- वक़्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार की योजना के तहत समस्त राज्य की वक़्फ सम्पत्तियों की जी0आई0एस0 मैपिंग करायी जा रही है, प्रथम चरण में देहरादून तथा हरिद्वार जनपदों की सम्पत्तियों की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

8. 15–सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून।

माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंन्त्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि ''हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एंव बेहतर 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।'' इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के

कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश में भी तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹17.00 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

9. आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः–

इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹53.80 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक ₹45.25 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

10. वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिब्यूनल)

(1) वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अधीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया हैं।

(2) राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर (सचिव, राजस्व) की तैनाती की गयी है। राज्यन्तर्गत वर्तमान में 02 वक्फ अधिकरण (गढ़वाल एवं कुमायूॅ मण्डल) कार्यालय संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹31.45 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2025 तक ₹3.66 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

<u>अल्पसंख्यकों हेतु मुख्य कल्याणकारी योजनायें</u>

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित):–

अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा–1 से 10 तक के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अंतर्गत इस समुदाय के ऐसे सभी छात्रों जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुना से अधिक नहीं हो, को छात्रवृति दिये जाने की व्यवस्था है।

<table>
<tr><th>योजना</th><th>योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ</th><th>उक्त लाभ हेतु पात्रता</th><th>चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr>
<td>अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.रा.पो)</td>
<td>छात्रवृत्ति की दरें (धनराशि रू0 में)
<table>
<tr><th colspan="3">छात्रवृत्ति के मानक</th><th rowspan="2">अवधि (अधिकतम)</th></tr>
<tr><th>कक्षा</th><th>दर प्रतिमाह</th><th>माता–पिता की आय सीमा</th></tr>
<tr><td>1–5</td><td>50</td><td rowspan="3">गरीबी की रेखा के दुगनी आय तक वार्षिक आय</td><td>12 माह</td></tr>
<tr><td>6–8</td><td>80</td><td>12 माह</td></tr>
<tr><td>9–10</td><td>120</td><td>12 माह</td></tr>
</table>
</td>
<td>1. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/ छात्राऐं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों पात्र होंगे।
2. छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रातों से वार्षिक 1 लाख (एक लाख) से अधिक न हो।</td>
<td>1. छात्र/छात्रा द्वारा (NSP2.0) से www .scholarships.gov.in द्वारा आनलाईन किया जाता है।
2. Application Submitted to school.
3. INO Verify application and send to State Level for Payment
4. उक्त योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।
5. छात्रवृत्ति ऑनलाईन है जिसमें कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है।</td>
</tr>
</table>

क्रम सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (रू0लाख में)
1.	**2022-23**	**517**	**2.19**
2.	**2023-24**	**270**	**3.25**
3.	**2024-25**	**786**	छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान भारत सरकार स्तर से डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

2. अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राऐं, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो, एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से कक्षा 11 से पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है।

<table>
<tr><th>योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ</th><th>उक्त लाभ हेतु पात्रता</th><th>चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>
छात्रवृत्ति योजना (धनराशि रू0 में)
<table>
<tr><th>मद</th><th>हॉस्टलवासी</th><th>दिवास्कॉलर</th></tr>
<tr><td>कक्षा 11 और 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क</td><td>अधिकतम 7,000 प्रतिवर्ष</td><td>अधिकतम 7,000 प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td>कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)</td><td>अधिकतम 10,000 प्रतिवर्ष</td><td>अधिकतम 10,000 प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td>अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क</td><td>वास्तविक, अधिकतम 3,000 प्रतिवर्ष</td><td>वास्तविक, अधिकतम 3,000 प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td>एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(i) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित</td><td>380 प्रतिमास</td><td>230 प्रतिमास</td></tr>
<tr><td>(ii) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।</td><td>570 प्रतिमास</td><td>300 प्रतिमास</td></tr>
</table>
</td><td>
1. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं, जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रति0 अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे।
2. छात्र/छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, पारसी, सिक्ख, बौद्व एवं इसाई समुदाय से होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रातों से वार्षिक 2 लाख (दो लाख मात्र) से अधिक न हो।
</td><td>
1. छात्र/छात्रा द्वारा (NSP2.0) से www .scholarships.gov.in में आनलाइन आवेदन किया जाता है।
2. INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन–पत्रों को SNO(State Nodal Officer) को अग्रसारित किया जाता है।
3. SNO द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है।
4. भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
5. उक्त योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।
6. छात्रवृत्ति ऑनलाईन है जिसमें कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="3">अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति</th></tr>
<tr><th>लक्ष्य</th><th>लक्ष्य प्राप्ति</th><th>स्वीकृत धनराशि ₹ करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>3646</td><td>4604</td><td>3.35</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>3646</td><td>5296</td><td>3.85</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>3646</td><td>5930</td><td rowspan="3">भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>3646</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>3646</td><td>-</td></tr>
</table>

छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान भारत सरकार स्तर से डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

3. अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की कुल आय रुपये 2.50 लाख (वार्षिक) से अधिक न हों एवं जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्राविधिक एवं व्यवसायिक कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, के लिये किया गया है। छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है।

<table>
<tr><th>योजना</th><th>योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ</th><th>उक्त लाभ हेतु पात्रता</th><th>चयन प्रकिया</th></tr>
<tr><td>अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के. पो)</td><td>छात्रवृत्ति की दरें (धनराशि रू0 में)<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>वित्तीय सहायता का प्रकार</th><th>हॉस्टलर दर</th><th>दिवा स्कालर दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए)</td><td>10,000/– प्रतिवर्ष (रू 1000 प्रतिमाह)</td><td>5,000/– प्रतिवर्ष (रू0 500 प्रतिमाह)</td></tr>
</table></td><td>1. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/ गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रति0 अंक प्राप्त किये हों पात्र होंगे।
2. छात्र/छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, पारसी, सिक्ख, बौद्व एवं इसाई समुदाय से होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रातों से वार्षिक 2.50</td><td>1. छात्र/छात्रा द्वारा (NSP2.0) से www.scholarships.gov पद द्वारा आनलाइन किया जाता है।
2- INO द्वारा आवेदन पत्रों को Verify कर SNO को अग्रसारित किया जाता है।
3- SNO (State Nodal Officer) द्वारा भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है।
4- भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
5- उक्त योजना के अन्तर्गत</td></tr>
</table>

	2.	पाठ्यक्रम शुल्क	20,000/–प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	(दो लाख पचास हजार मात्र) लाख से अधिक न हो।	अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है। 6- छात्रवृत्ति ऑनलाईन है जिसमें कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है।
	कुल		30,000/–	25,000/–		

वर्ष	**अल्पसंख्यक मेंरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति**		
	लक्ष्य	**लक्ष्य प्राप्ति**	**स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)**
2020-21	438	492	1.39
2021-22	438	658	1.69
2022-23	438	709	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।
2023-24	438	-	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2024-25	438	-	

छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान भारत सरकार स्तर से डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

4. अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना (100% के0स0):–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सहायतित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नई अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अभिभावकों की आय ₹ 1.00लाख से कम होना तथा छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से योजना 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायतित है। भारत सरकार द्वारा राज्य का लक्ष्य 21874 निर्धारित किया गया है।

<table>
<tr><th>योजना</th><th>योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ</th><th>उक्त लाभ हेतु पात्रता</th><th>चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr>
<td>अल्पसंख्यक कक्षा 9 से 10 तक प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत प्रति. केन्द्रपोषित।)</td>
<td>छात्रवृत्ति की दरें (धनराशि रू0 में)
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>मद</th><th>हॉस्टलवासी</th><th>दिवास्कॉलर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क</td><td>वास्तविक या 500 प्रतिवर्ष</td><td>वास्तविक या 500 प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क</td><td>वास्तविक या 350 प्रतिमाह</td><td>वास्तविक या 350 प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(i) कक्षा 1 से 5</td><td>शून्य</td><td>100 प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) कक्षा 6 से 10</td><td>वास्तविक या 600 प्रतिमाह</td><td>100 प्रतिमाह</td></tr>
</table>
</td>
<td>1. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रति0 अंक प्राप्त किये हों पात्र होंगे।
2. छात्र/छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, पारसी, सिक्ख, बौद्व एवं इसाई समुदाय से होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रातों से वार्षिक 1 लाख (एक लाख) से अधिक न हो।</td>
<td>1. छात्र/छात्रा द्वारा (NSP2.0) से www .scholarships.gov.पद द्वारा आनलाइन किया जाता है।
2. INO द्वारा आवेदन पत्रों को Verify कर SNO को अग्रसारित किया जाता है।
3. SNO (State Nodal Officer) द्वारा आवेदन–पत्रों को भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है।
4. भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है।
5. उक्त योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।
6. छात्रवृत्ति ऑनलाईन है जिसमें कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है।</td>
</tr>
</table>

भारत सरकार स्तर से वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मात्र कक्षा 9 एवं 10वीं में अध्यनरत् छात्र/छात्राओं को ही लाभान्वित किया जाने का निर्णय लिया गया है। छत्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है।

वर्ष		अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति		
		लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2020-21	**100%CSS**	21874	18409	7.34
2021-22		21874	21812	10.48
2022-23		21874	3265	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।

5. अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः–

अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी बालिकाओं को निम्न प्रकार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगीः–

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ				उक्त लाभ हेतु पात्रता	चयन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (100प्रति.रा.पो)	परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रू0 में	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि में	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि में	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान।	1. छात्रा द्वारा ऑफलाईन आवेदन किया जाता है। 2.ऑफलाईन आवेदन–पत्र विकासखण्ड कार्यालयों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त एवं वहीं पर जमा कराया जाता है। 3. जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा पात्र छात्राओं को अनुदान संस्तुत किया जाता
	हाईस्कूल या मुंशी या मौलवी	10,000	15,000	20,000		
	इण्टरमीडिएट या आलिम	15,000	20,000	25,000		

			है। 4. जिला स्तर से मॉग निदेशालय से मांग की जाती है। 5. निदेशालय स्तर से संकलित मॉग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। 6. शासन स्तर से बजट प्राप्त होने पर निदेशाल स्तर से जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि जारी की जाती है। 1. आवेदन का प्रारूप विभागीय बेवसाईट www.minoritywelfare.uk.gov.in से भी डॉउनलोड किया जा सकता है। 2. योजना का लाभ लिये जाने हेतु निम्नवत् प्रमाण पत्र वांछनीय है • हाई स्कूल / इण्टरमिडीएट अंक तालिका • बी.पी.एल / आय प्रमाण पत्र। • बैक एकाउन्ट डिटेल • उत्तराखण्ड मूल निवास • अविवाहित होने का स्वघोषित प्रमाण। • आधार कार्ड। • स्वघोषित अल्पसंख्यक प्रमाण।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2021-22	200.00	196.95	978
2022-23	300.00	183.25	1189
2023-24	360.40	294.85	2246
2024-25	376.10	192.60	2370

6. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः—

उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें निम्न प्रकार अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हैंः—

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	चयन प्रकिया
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (100प्रति.रा.पो)	**1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :—** 1. प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु 75000/मात्र। 2. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु 25000/— मात्र। **2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु :—** उक्त परिक्षाओं में सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगीः— 1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त 60,000/—मात्र। 2. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु 20,000/— मात्र। **3. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि**	1. प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन) का सदस्य हो। 3. प्रार्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो। 4. यह राशि उन सफल अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी, जिनके माता—पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये, यदि है तो) रू0 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो। (आय प्रमाण—पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो, जो अधिकतम 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो)। 5. यदि अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो या अधिक परीक्षाओं में उतीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है। 6. अभ्यर्थी द्वारा भारतीय सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने	1. आवेदक द्वारा आवेदन भरा जाता है। 2. आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाता है। 3. जिला स्तर से मॉग निदेशालय को प्राप्त होती है। 4. निदेशालय स्तर से संकलित मॉग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। 5. शासन स्तर से बजट प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि जारी की जाती है। 6. आवेदन का प्रारूप विभागीय बेवसाईट

	समूह (क)–इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/ परीक्षाऐं सम्मिलित है :– (एक) IITs (Indian Institute of Technology) (दो) IIMs (Indian Institute of Management) उक्त संस्थानों/परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि–60,000 मात्र। **समूह (ख)–इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान/ परीक्षाऐं सम्मिलित है :–** (एक) AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (दो) IIS (Indian Institute of Scicnce) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (तीन) IISAR (Indian Institute of Scicnce and Applied Research) भारतीय विज्ञान एवं प्रायोगिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता एवं बंगलौर (चार) MCI (Medical Council of India) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज (पांच) AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (छः) BCI (Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु। उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 मात्र।	के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड राज्य व प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं उच्च न्यायिक सेवा/प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। 7. अभ्यर्थी को एक शपथ–पत्र देना होगा कि उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है, तथा यह उल्लेख करना होगा कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौनसा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है, शपथ–पत्र में राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा। 8. इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित अनुदान राशि अभ्यर्थी द्वारा उक्त संस्थानों की संगत परीक्षा में सफल होने का मूल आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही देय होगी। 9. संघ लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की उक्त परीक्षाओं की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त आवेदन की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 10. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।	www.minoritywelfare.uk.gov.in से डॉउनलोड किया जा सकता है। 7. योजना का लाभ लिये जाने हेतु निम्नवत् प्रमाण पत्र संलग्न करने है • अंकतालिकाऐं • बी.पी.एल/आय प्रमाण पत्र। • बैक एकाउन्ट डिटेल • उत्तराखण्ड मूल निवास • प्रारंम्भिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने का प्रमाण। • आधार कार्ड। • स्वघोषित अल्पसंख्यक प्रमाण। • शपथ पत्र। • सरकारी सेवा में सेवारत अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय अनुदान की राशि ₹ 50,000 मात्र। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत ₹10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

धनराशि लाख ₹ में

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	**प्राविधान**	**व्यय धनराशि**	**लाभान्वित**
2021-22	10.00	0.30	01
2022-23	10.00	7.80	15
2023-24	10.00	5.80	10
2024-25	10.00	1.95	4

7. मदरसा आधुनिकीकरण योजना (100प्रति.रा.पो).

इस योजनान्तर्गत मदरसे में अवस्थापना सुविधाओं, फर्नीचर, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, विद्युत उपकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, जनरेटर आदि के लिए योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत मदरसों में कक्षा–कक्षा निर्माण आदि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें ऐसे मदरसों को प्राथमिकता दी जायगी, जो भारत सरकार की "अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास योजना"(आई.डी.एम.आई–Infrastructure Development in Minority Institutes) योजना की गाईड–लाईन से आच्छादित नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से मदरसे में अवस्थापना विकास किया जाना आवश्यक हो को सम्मिलित किया जाता हैः–

योजना	**योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ**	**उक्त लाभ हेतु पात्रता**	**चयन प्रकिया**
मदरसा आधुनिकीकरण योजना (100प्रति.रा.पो). राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण /कम्प्यूटर शिक्षा हेतु सहायता /अनुदान दिया जाना।	1. मदरसे में अवस्थापना सुविधाओं, फर्नीचर, कम्प्यूटर, पुस्तकालय, विद्युत उपकरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, जनरेटर आदि के लिए धनराशि की मांग की जा सकेगी। 2. उक्त योजनान्तर्गत मदरसों में कक्षा–कक्षा निर्माण आदि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें ऐसे मदरसों को प्राथमिकता दी जायगी, जो भारत	i. योजना के अन्तर्गत ऐसे मदरसों को ही अनुदान दिये जाने पर विचार किया जायेगा, जो मदरसे में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को दीनी–तालीम के साथ–साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्यूटर शिक्षा आदि आधुनिक शिक्षा भी प्रदान करते हों। ii. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त मदरसों को ही योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा। iii. अनुदान हेतु संबंधित मदरसे की मान्यता कम से कम 3 वर्ष पूर्व की होनी चाहिए। iv. मदरसे द्वारा छात्र/छात्राओं से रू0 500/– मासिक से अधिक शिक्षण शुल्क की वसूली न की जा रही हो। v. यदि किसी संस्था द्वारा मदरसे एवं स्कूल दोनों की मान्यता प्राप्त की गयी है, तो ऐसी दशा में वही संस्था उक्त योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकेगी, जहां मदरसा एवं स्कूल पृथक–पृथक संचालित हों तथा नियमानुसार आधुनिक विषय व दीनी–तालीम के शिक्षक तैनात हो।	1. सर्वप्रथम मदरसा प्रबंधक/ प्रधानाचार्य द्वारा सामग्री एवं मदरसे में अवस्थापना विकास हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। 2. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा

	सरकार की "अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास योजना"(आई.डी.एम. आई–Infrastructure Development in Minority Institutes) योजना की गाईड–लाईन से आच्छादित नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से मदरसे में अवस्थापना विकास किया जाना आवश्यक हो। 3. राज्य के मदरसों में अवस्थापना निर्माण एवं शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम रू0 30.00 लाख की सीमा तक (अनावर्तक) सहायता उपलब्ध करायेगी, जिसमें 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत संबंधित मदरसे द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। 4. राज्य के मदरसों में कम्प्यूटर शिक्षा/आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।	योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि मदरसे हेतु ही व्यय की जायेगी। vi. जनपद स्तर से प्रस्ताव प्रेषित करते समय यह भी संज्ञान लिया जायेगा कि संबंधित मदरसे में समस्त छात्र/छात्राओं के भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति के फार्म भरवाये जाते है अथवा नहीं। साथ ही अन्य विभागीय कार्यों जैसेः–छात्र/छात्राओं/शिक्षकों/प्रबंधन से संबंधित समस्त व्यक्तियों के आधार पंजीकरण, विभाग द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली सूचनाओं को समय से उपलब्ध कराया जाना, सर्वशिक्षा अभियान योजना को सही से लागू किये जाने आदि के संबंध में मदरसे का सहयोगात्मक कार्यव्यवहार रहा हो। vii. मदरसे द्वारा कभी कोई वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता न की गयी हो। viii. यदि किसी मदरसें द्वारा अल्पसंख्यक विकास निधि योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त की गयी है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मदरसें को उक्त योजनान्तर्गत 05 वित्तीय वर्ष के पश्चात् ही धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। ix. किसी मदरसें को उक्त योजनान्तर्गत एक बार धनराशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त संबंधित मदरसे के प्रस्ताव पर 05 वित्तीय वर्ष के पश्चात् ही समिति द्वारा नियमानुसार विचार किया जायेगा। x. जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का गहन परीक्षण निदेशालय स्तर से किया जायेगा तथा तदोपरान्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव ही शाासन को प्रेषित किये जायेगे, जिस पर समिति द्वारा गुण–दोष के आधार पर विचार करते हुए यथोचित निर्णय लिया जायेगा। xi. मदरसों का आधुनिकीरकण /कम्प्यूटर शिक्षा हेतु प्रस्तुत नियमावली के प्रख्यापन के फलस्वरूप उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित मदरसों को भविष्य में अल्पसंख्यक विकास निधि संचालन नियमावली, 2012 के अंतर्गत आच्छादित नहीं किया जायेगा एवं शाससन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–125/XVII-3/13-07(11)/2012, दिनांक 26.02.2013 द्वारा प्रख्यापित अल्पसंख्यक विकास निधि संचालन नियमावली, 2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। xii. उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित मदरसे द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ सहित निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध कराया जाएगा।	प्रस्तावों को तैयार कर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को प्रेषित किये जाते है। 3. तद्नुसार जिला स्तर से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर संकलित रूप से शासन को प्रेषित किये जाते है। 4. शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन /मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित है। गठित समिति की संस्तुति उपरान्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। 5.योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आवेदन किया जा सकता है।

धनराशि लाख ₹ में

मदरसा आधुनिकीकरण योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित संस्थाऐं / मदरसें
2021-22	100.00	100.00	35
2022-23	200.00	104.68	13
2023-24	200.00	133.95	17
2024-25	200.00		वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही गतिमान।

8. अल्पसंख्यक विकास निधि योजनाः–

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी मॉग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ₹ 4.00 करोड की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत ₹ 5.00 करोड की धनराशि से मुख्य रूप से मदरसों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर तथा ईदगाह की चाहर–दिवारी, आदि मदों में प्राविधानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत ₹ 390.84 लाख के प्रस्तावों पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	योजना की चयन प्रकिया
अल्पसंख्यक विकास निधि (100प्रति.रा.पो). अवस्थापना विकास किया जाना।	भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक मुख्यतः दो प्रकार के हैं। प्रथम–धार्मिक अल्पसख्यक, द्वितीय–भाषाई अल्पसंख्यक। उत्तराखण्ड में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मुख्यतः मुस्लिम, सिक्ख, ईसाइ, बौद्ध एवं जैन समुदाय निवासरत् है। भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में उर्दू भाषी, बंगाली भाषी एवं पंजाबी भाषी मुख्यतः निवासरत् है। राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 15.4 प्रतिशत है। इस समुदाय के समग्र विकास हेतु जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम. एस.डी.पी.) योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन उक्त योजना की गाईड–लाईन से कतिपय	(i) योजनाऐं यद्यपि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित हैं, लेकिन अल्पसंख्यक क्षेत्र/ ग्राम में क्रिटिकल गैप (Critical Gap) के कारण विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों के क्रिटिकल गैप को पूर्ण करने के लिए विभिन्न योजनाऐं तैयार की जाएंगी। (ii) जो योजनाऐं एम0एस0डी0पी0 योजना की गाईड–लाईन से आच्छादित नहीं हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों के हित में अति आवश्यक हे, को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।	1. सर्वप्रथम मदरसा प्रबंधक/ प्रधानाचार्य /संस्था द्वारा सामग्री एवं अवस्थापना विकास हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं,। 2. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तावों को तैयार कर

	महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम आच्छादित नहीं हो पा रहे हैं तथा उक्त दोनों जनपदों के अतिरिक्त राज्य के शेष जनपदों को उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं किया जा सकता है। अतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार रू0 04.00 करोड़ की प्रारम्भिक धनराशि से **"अल्पसंख्यक विकास निधि"** की स्थापित की गयी है।	(iii) राज्य के मदरसों एवं अन्य अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवस्थापना विकास हेतु भारत सरकार की आई0डी0एम0आई0 योजना से किन्हीं कारणों से वंचित संस्थाओं को राज्य सरकार अधिकतम रू0 20.00 लाख की सीमा तक (अनावर्तक) सहायता उपलब्ध करायेगी, जिसमें 75 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 25 प्रतिशत संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। (iv) राज्य के मदरसे, जो भारत सरकार की मदरसा आधुनिकीरण योजना से आच्छादित है, लेकिन कम्प्यूटर शिक्षक का मानदेय भारत सरकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे है, के कम्प्यूटर शिक्षकों को भारत सरकार की दरों पर मानदेय प्रदान किया जाएगा। (v) उपरोक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित अल्पसंख्यकों की मांग के क्रम में निदेशालय के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्तावों पर भी समिति गुण–दोष के आधार पर विचार करेगी तथा उपयुक्त निर्णय लेगी।	अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को प्रेषित किये जाते है। 3. तद्नुसार जिला स्तर से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर संकलित रूप से शासन को प्रेषित किये जाते है। 4. शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन /मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित है। गठित समिति की संस्तुति उपरान्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

धनराशि लाख ₹ में

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि	योजनाऐं/लाभान्वित
2021-22	300.00	293.43	11 योजनाओं की द्वितीय किश्त।
2022-23	500.00	459.09	27
2023-24	500.00	479.44	10
2024-25	500.00	104.95	03

9. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी0सी0 मार्ग का निर्माण, बारात घर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना संबंधी कार्यो आदि के लिए कार्य उक्त योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती हैं।

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	योजना की चयन प्रक्रिया
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य। (100प्रति.रा.पो). अवस्थापना विकास किया जाना।	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य। (100प्रति.रा.पो). अवस्थापना विकास किया जाना हैं। जिसमें मुख्यतः टाईल रोड, खडजा निर्माण, नाली का निर्माण आदि कार्यपूर्ण किये जाते है।	i. योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय निवासरत् हो। ii. प्रस्तावित कार्य राज्य की किसी अन्य योजना से आच्छादित न हो। iii. प्रस्तावित निर्माण कार्य की आवश्यकता।	1. सर्वप्रथम अवस्थापना विकास हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिलासमाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं,। 2. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिलासमाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तावों को तैयार कर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को प्रेषित किये जाते है। 3. तद्नुसार जिला स्तर से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त कर संकलित रूप से शासन को प्रेषित किये जाते है। 4. शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन /मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित है। गठित समिति की संस्तुति उपरान्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

धनराशि लाख ₹ में

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य	प्राविधान	व्यय धनराशि/ अवमुक्त	योजनाऐं
2020-21	500.00	494.05	85
2021-22	300.00	-	-
2022-23	1295.00	1294.93	75
2023-24	300.00	300.00	05
2024-25	500.00	115.54	03

10. प्रधानमंत्री जनविकास योजना (PMJVK) योजना

मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वर्ष 2017–18 में प्रधानमंत्री जनविकास योजना (PMJVK) योजना पूर्व नाम (MSDP) प्रारम्भ की गयी, जिसमें प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रधानमंत्री जनविकास योजना (PMJVK) केन्द्रपोषित (CSS) योजना है, जिसमें (90% केन्द्रांश 10% राज्यांश) निर्धारित है। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु प्रस्तावित योजना के 15 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या होना अनिवार्य है।

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	योजना की चयन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (90:10 प्रति. के.सहा.). विकासपरक	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), केंद्र प्रायोजित अल्पसंख्यक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत अल्पसंख्यक चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। यह योजना राज्य सरकारों/केंद्र फंड शेयरिंग पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है और परियोजना अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जा रही है। योजना के तहत निर्मित बुनियादी ढांचा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए है। 1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन। 2. अल्संख्यक व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। 3. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, स्वच्छता, कौशल विकास आदि।	1 पीएमजेवीके के तहत परियोजनाएं अनुमोदित और प्रमाणित रूप में अल्पसंख्यक चिन्हित क्षेत्रों में प्रस्तावित की जा सकती हैं। 2. इसके अन्तर्गत 15 कि.मी. की परिधि जहां अल्पसंख्यक आबादी कुल आबादी का 25 प्रतिशत से अधिक है में योजना प्रस्तावित की जा सकती है।	1. सर्वप्रथम अवस्थापना विकास हेतु यथोचित प्रस्ताव संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिलासमाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। 2. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिलासमाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तावों को तैयार कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुमोदनुपरान्त अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को प्रेषित किये जाते है। 3. तद्नुसार जिला स्तर से औचित्यपूर्ण संकलित रूप से शासन को प्रेषित किये जाते है। 4. शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्तावों को स्वीकृत करने एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन /मूल्यांकन तथा अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल कमेटी की संस्तुति उपरान्त अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये जाते है। 5. भारत सरकार स्तर से स्वीकृति पाप्त होने पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है।

PMJVK Scheme	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि
2021-22	4020.00	2365.45
2022-23	2300.00	311.53
2023-24	5700.00	2137.16
2024-25	5700.00	4888.89

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत/गतिमान कार्यो का विवरण–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का विवरण	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
1	जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड रूद्रपुर में राजकीय पॉलिटैक्निक पन्तनगर मे अतिरिक्त भवन का निर्माण।	819.640	737.676	81.964
2	जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड काशीपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक काशीपुर में फार्मेसी भवन का निर्माण कार्य।	617.990	556.191	61.799
3	उत्तराखण्ड मुक्त वि”वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–1 हयूमैनिटिज़ एण्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मीडिया स्ट्डीज का निर्माण।	969.376	872.440	96.936

4	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–2 स्कूल ऑफ सोशियल एण्ड स्कूल ऑफ लॉ का निर्माण।	969.376	872.440	96.936
5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–3 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज एण्ड स्कूल ऑफ हैल्थ साइंस का निर्माण।	969.376	872.440	96.936
6	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–4 स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड आई0टी0 एण्ड स्कूल ऑफ वोकेजनल स्ट्डीज का निर्माण।	969.376	872.440	96.936
7	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल ब्लॉक–5 स्कूल ऑफ ऐजुकेशन एण्ड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉरमेशन साइंस का निर्माण।	969.376	872.440	96.936
8	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी नैनीताल स्कूल ऑफ हास्पिटलिटी एण्ड टूरिज्म स्ट्डीज एण्ड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड डेवलपमेंट स्ट्डीज का निर्माण।	969.376	872.440	96.936
9	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर ऊधमसिंहनगर में विज्ञान एवं वाणिज्य ब्लॉक का निर्माण।	1989.470	1790.523	198.947
10	जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में राजकीय डिग्री कॉलेज, डाकपत्थर में प्रशासनिक भवन, वाणिज्य संकाय भवन व कला संकाय भवन का निर्माण	1420.000	1278.000	142.000
11	जनपद देहरादून में 40, बौद्ध विहार–2 डी0एल0 रोड में शैक्षिक और खेल हॉल का निर्माण कार्य।	508.640	457.776	50.864
12	जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के लखनवाला में बौद्ध समुदाय के लिए बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य।	656.790	591.111	65.679
13	जनपद देहरादून में अम्बेडकर कॉलोनी प्रथम/डी0एल0 रोड, देहरादून में डा0 भीमराव अम्बेडकर (बौद्ध) समुदाय, बहुउद्देशीय हॉल और पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	348.190	313.371	34.819
योग–		**12176.976**	**10959**	**1217.69**

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

1. स्वरोजगार योजना ''अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु''

इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अशिक्षित/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को जिनकी आय रू0 2.50 लाख एवं आयु 18 से 55 वर्ष है, विभिन्न व्यवसायों हेतु एक लाख से दस लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत ₹ 1.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक की योजना में 25 प्रतिशत अधिक से अधिक ₹ 2.50 लाख अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन किया जाता है, अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि बैंक ऋण के रूप में होती है।

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	योजना की चयन प्रकिया
स्व रोजगार योजना ''अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोज गारों हेतु''	स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। रू0 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण लिये जाने पर, ऋण का 25 प्रतिशत धनराशि का अनुदान। न्यूनतम 25 हजार एवं अधिकतम 2,50,000/– है। योजना का लाभ ऋण लेने पर ही मिलेगा, जिसमें 60 प्रतिशत ऋण लेना होगा तथा 25 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान/सब्सिडी दी जाती है तथा 15 प्रतिशत अंशदान आवेदक के पास होना चाहिए। ऋण पर ब्याज बैंक में वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार लगेगा।	आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो तथा उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो, आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष के मध्य हो, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू 2,50,000/– से अधिक नहीं हो अथवा बीपीएल परिवार का सदस्य हो।	लाभार्थी का चयन करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके उपरांत आवेदन फॉर्म प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी) के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन फार्म के साथ निर्धारित आय प्रमाण पत्र/बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अविधित योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर आवेदन पत्र भरकर सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा। तत्पश्चात जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है, साक्षात्कार में सफल आवेदकों के आवेदन पत्र, बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदक के

			बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक स्वीकृति उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवदेन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुये अनुदान की 25 प्रतिशत राशि अवमुक्त किये जाने हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है, निगम मुख्यालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति उपरान्त अनुदान की धनराशि जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा लाभार्थी से लाभार्थी अंश की 15 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुये, 40 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर दी जाती है। जिसके उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक को ऋण अवमुक्त कर दिया जाता है। वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है तथा ऑनलाइन की प्रक्रिया गतिमान है।

धनराशि लाख ₹ में

स्वतःरोजगार योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	योजनाऐं/लाभान्वित
2021-22	200.00	200.00	77
2022-23	200.00	200.00	100
2023-24	200.00	46.00	38
2024-25	200.00		

2. मुख्यमंत्री हुनर योजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास करने वाले गरीब अल्पसंख्यकों को, जिनकी आयु 14 से 35 वर्ष एवं वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र **₹** 3.50 लाख शहरी क्षेत्र **₹** 4.50 लाख से अधिक न हो, को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। योजना के अन्र्तगत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है।

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	योजना की चयन प्रकिया
मुख्यमंत्री हुनर योजना	इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण ही दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भुगतान भी किया जाता है। रू. 2000 / – प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे होने पर, रू. 2500 / – प्रशिक्षण अवधि 150 घंटे होने पर, रू. 4000 / – प्रशिक्षण अवधि 250	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे महिला / पुरूष जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण यथा सिलाई कढाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बुनाई, आदि हेतु न्यूनतम पांचवी / साक्षर होना चाहिये। शिक्षा राजकीय स्कूल	उक्त योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसके उपरांत आवेदक, आवेदन फार्म अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। उसके उपरांत जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति

धनराशि लाख ₹ में

मुख्यमंत्री हुनर योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	योजनाऐं / लाभान्वित
2021-22	200.00	200.00	2247
2022-23	300.00	300.00	3862
2023-24	300.00	300.00	3949
2024-25	300.00	300.00	3949

3. मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना'

इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा हेतु ₹ 5.00लाख तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख तक निर्धारित है। छात्र–छात्राऐं केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18–35 वर्ष तक है। इस योजना में ऋण की अधिकतम सीमा रू0 5.00 लाख निर्धारित है।

योजना	योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ	उक्त लाभ हेतु पात्रता	योजना की चयन प्रकिया
मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रू0 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण का लाभ दिया जाता है।	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र–छात्राएं जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो, 12वीं उत्तीर्ण हो तथा वह जिस विश्वविद्यालय/ कॉलेज/संस्थान में अध्ययन कर रहा हो/दाखिला लिया हो, वह केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। • परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2,50,000 होनी चाहिये। • ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह/सेवायोजित के उपरांत अगले 3 वर्षो में ऋण की वापसी करनी होगी।	• आवेदन पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर, जनपदीय कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त तक जमा किया जाता है तथा आवेदन वर्तमान में ऑफलाईन होता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का कलर फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्मप्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, कॉलेज/संस्थान में एडमिशन प्रमाण पत्र, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज आईडी, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, इस आशय का शपथ पत्र कि ऋण योजना का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है। • 02 गारंटर के वेतन/आय संबंधी प्रमाण पत्र, गारंटरों के पैन कार्ड, फोटो, आधार, राशन कार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। • तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन 15 सितम्बर तक निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। उसके उपरांत उत्तराखण्ड शासन में गठित चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हे ऋण चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण की स्वीकृत धनराशि अभ्यर्थी की मांग के अनुरूप सम्बन्धित जनपद के खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है। जनपदीय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आवेदक को धनराशि खाते में दी जाती है। • वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट सीमा के अंतर्गत ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं अन्य प्रस्ताव स्वतः निरस्त समझे जाते हैं।

धनराशि लाख ₹ में

मौलाना आजाद एजूकेशन फाईनेंस फाउन्डेंशन	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2021-22	130.00	130.00	37
2022-23	200.00	200.00	34
2023-24	200.00	89.57	34
2024-25	200.00	200.00	34

भविष्य की महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/लक्ष्यों का विवरण :–

1. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मा.मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान योजनाओं को ऑनलाइन करते हुए पी.एफ.एम.एस के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
2. अल्पसंख्यक कल्याण निगम द्वारा संचालित समस्त ऋण योजनाओं को ऑनलाइन करते हुए पी.एफ.एम.एस के माध्यम से भुगतान किये जाने का लक्ष्य।
3. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. द्वारा संचालित रोजगारपरक योजनाओं में ऋण योजना के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाना।
4. हुनर योजनान्तर्गत सभी आवेदनकर्ताओं को उनकी मॉग के अनुसार प्रशिक्षित कर उन्हें स्वयं का व्यवसाय किये जाने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना।
5. अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की मॉग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं विकसित करते हुए आर्थिक/शैक्षिक विकास किया जाना।

6. मदरसो में अध्यनरत् छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सुविधाओं के साथ–साथ विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में समस्त कार्य ई–आफिस के माध्यम से किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में समस्त जनपदीय कार्यालयों को भी इससे जोड़े जाने की योजना तैयार की जा रही है।
8. विभागार्न्तगत संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिये विभागार्न्तगत समर्पित **आई.टी सैल** के गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
9. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य के सभी अल्पसंख्यक वर्गों के समावेशी विकास हेतु कृत संकल्पित है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विभागान्तर्गत Reforms/Innovation को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।
10. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र सभी बालिकाओं को अनुदान की राशि प्रदान किये जाने का लक्ष्य।

विभागीय संगठनात्मक ढाँचा

1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

क्र.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित/ अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति।
			स्थाई	अस्थाई						
1	सचिव श्रेणी (2) का पद	B	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	53100-167800	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात।
2	वैयक्तिक सहायक (अध्यक्ष हेतु)	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	29200-92300	वर्तमान में नियमित कार्मिक तैनात नहीं। उपनल ऑउटसोर्स के आधार पर कार्मिक तैनात।
3	लेखाकार	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	35400-112400	वर्तमान में नियमित कार्मिक तैनात नहीं। रिक्त पद के सापेक्ष उपनल से कार्यरत।
4	वरिष्ठ लिपिक	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	29200-92300	वर्तमान में नियमित कार्मिक तैनात नहीं। पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद रिक्त।
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	21700-69100	नियमित कार्मिक तैनात।
6	वाहन चालक (अध्यक्ष एवं सचिव हेतु)	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	1	1	21700-69100	नियमित कार्मिक तैनात नहीं। 01 आऊट सोर्सिंग से कार्यरत।
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	D	स्थाई		अराजपत्रित	4	3	1	19900-63200	एक नियमित तथा 02 कार्मिक ऑउटसोर्स के आधार पर तैनात।
योगः						**11**	**8**	**3**		

2. निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।

क्र.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित/अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति।
			स्थाई	अस्थाई						
1	निदेशक	A	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	144200-218200	आई.ए.एस/वरिष्ठ पी.सी.एस अधिकारी का पद। वर्तमान में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन को अतिरिक्त प्रभार।
2	उपनिदेशक	B	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	67700-208700	उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन के पास अतिरिक्त प्रभार।
3	वित्त अधिकारी	B	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	67700-208700	वित्त सेवा संवर्ग।
4	सहायक निदेशक/ योजना अधिकारी	B	स्थाई		राजपत्रित	1	0	1	53100-167800	वर्तमान में रिक्त।
5	विधि अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	44900-142400	प्रतिनियुक्ति/ सेवा स्थानान्तरण का पद।
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	53100-167800	स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है। वर्तमान में भरा।
7	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	47600-151100	स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है। वर्तमान में रिक्त।
8	प्रशासनिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	44900-142400	स्टाफिग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद है तथा वर्तमान में पद भरा।
9	लेखाकार	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	35400-112400	पदोन्नति का पद है, जो वर्तमान में रिक्त है।
10	सहायक लेखाकार (कम्प्यूटर दक्ष)	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	2	0	29200-92300	
11	वैयक्तिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	44900-142400	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद।
12	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	35400-112400	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदोन्नति का पद।

क्र.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित/अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति
			स्थाई	अस्थाई						
13	वैयक्तिक सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	2	0	29200-92300	
14	प्रधान सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	3	1	2	35400-112400	पदोन्नति का पद है। (स्टाफिंग पैटर्न लागू)
15	वरिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	3	1	2	29200-92300	पदोन्नति से भरा जाना है। वर्तमान में 01 पद भरा। (स्टाफिंग पैटर्न लागू)
16	कनिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	1	1	21700-69100	स्टाफिंग पैटर्न लागू
17	कम्प्यूटर प्रोग्रमर	C		आउट सोर्सिंग		1	1	0	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	ऑउटसोर्स के माध्यम से तैनात।
18	डाटा इंट्री ऑपरेटर	C		आउट सोर्सिंग		1	1	0	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	ऑउटसोर्स के माध्यम से तैनात।
19	वाहन चालक	C		आउट सोर्सिंग		4	0	4	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	
20	अनुसेवक /चौकीदार/ स्वच्छके	D		आउट सोर्सिंग		11	9	2	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	ऑउटसोर्स के माध्यम से तैनात।
योगः						**40**	**23**	**17**		

3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड।

क्र.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित/ अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति।
			स्थाई	अस्थाई						
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	B	स्थाई		राजपत्रित	4	4	0	35400-112400	जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तैनात। शेष जनपद देहरादून एवं नैनीताल में अतिरिक्त प्रभार।
2	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	53100-167800	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है। वर्तमान में रिक्त है। (स्टाफिंग पैटर्न)
3	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	0	2	47600-151100	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है। वर्तमान में रिक्त है। (स्टाफिंग पैटर्न)
4	प्रशासनिक अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	0	2	44900-142400	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है। वर्तमान में रिक्त है। (स्टाफिंग पैटर्न)
5	प्रधान सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	3	0	3	35400-112400	प्रोन्नति द्वारा भरे जाने है। वर्तमान में रिक्त है। (स्टाफिंग पैटर्न)
6	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	13	8	5	29200-92300	05–पदों पर नियमित कार्मिकों के संदर्भ अधीनस्थ चयन आयोग से प्राप्त। नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान।
7	वरिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	4	4	0	29200-92300	पदोन्नति का पद है । (स्टाफिंग पैटर्न)
8	कनिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	6	6	0	21700-69100	स्टाफिंग पैटर्न
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	C		आउट सोर्सिंग		4	4	0	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	04 कार्मिक आऊट सोर्सिंग से कार्यरत हैं।
10	अनुसेवक	D		आउट सोर्सिंग		16	9	7	(आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत)	09 कार्मिक आऊट सोर्सिंग से कार्यरत।
योग:						**55**	**35**	**20**		

4- **प्रान्तीय हज समिति, उत्तराखण्ड।**

क.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित/ अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति।
			स्थाई	अस्थाई						
1	अधिशासी अधिकारी	B	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	78800-209200	अधीक्षण अभियंन्ता, पेयजल को शासन द्वारा अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया हैं।
2	हज अधिकारी	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	44900-142400	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण का पद है। पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में कर्मचारी तैनात।
3	सहायक लेखाकार	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	29200-92300	पद रिक्त है।
4	वरिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	29200-92300	प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है।
5	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	2	0	21700-69100	लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से कार्मिकों का सदंर्भ प्राप्त। नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही गतिमान। वर्तमान में 02–कार्मिक संविदा पर कार्यरत।
6	चौकीदार	D		आउट सोर्सिंग		2	2	0		आउट सोर्सिंग
7	अनुसेवक	D		आउट सोर्सिंग		1	1	0		आउट सोर्सिंग
8	स्वच्छक (हज हाउस)	D		आउट सोर्सिंग		1	1	0		आउट सोर्सिंग
9	माली (हज हाउस)	D		आउट सोर्सिंग		1	1	0		आउट सोर्सिंग
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	C		आउट सोर्सिंग		1	1	0		आउट सोर्सिंग
11	वाहन चालक	C		आउट सोर्सिंग		1	1	0		आउट सोर्सिंग
योगः						**13**	**11**	**2**		

5. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून।

क्र.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित/ अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति।
			स्थाई	अस्थाई						
1	निदेशक	A	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	144200-218200	आई.ए.एस/वरिष्ठ पी.सी.एस अधिकारी का पद। वर्तमान में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पास अतिरिक्त चार्ज
2	उप रजिस्ट्रार	B	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	53100-67800	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण का पद। वर्तमान में राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात।
3	निरीक्षक	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	0	1	44900-142400	प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण का पद। वर्तमान में रिक्त।
4	लेखाकार	C		आउट सोर्सिंग		1	1	0	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
5	कनिष्ठ सहायक	C		आउट सोर्सिंग		5	5	0	आऊट सोर्सिंग के पद स्वीकृत	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
6	उर्दू अनुवादक	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	1	0	25500-81100	सीधी भर्ती का पद। वर्तमान में उपनल ऑउटसोर्स से कार्मिक तैनात।
7	अनुसेवक	D		आउट सोर्सिंग		3	3	0	आऊट सोर्सिंग स्वीकृत	आऊट सोर्सिंग से कार्यरत
योगः						**13**	**12**	**1**		
कुल योगः						**132**	**89**	**43**		

6. **उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि, देहरादून।**

क्र.सं.	विभिन्न श्रेणी के पदों का विवरण	श्रेणी	स्वीकृत पद		राजपत्रित /अराजपत्रित	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त पद	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	अभ्युक्ति
			स्थाई	अस्थाई						
1	प्रबन्ध निदेशक	A	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0		अपर सचिव, उ. शासन को प्रभार।
2	महाप्रबन्धक	B	स्थाई		राजपत्रित	1	1	0	67700-208700	उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात
3	उपमहाप्रबन्धक	B	स्थाई		राजपत्रित	1	-	1	53100-167800	पद रिक्त।
4	लेखाकार	C	स्थाई		अराजपत्रित	1	-	1	35400-112400	पद रिक्त।
5	वरिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	1	1	29200-92300	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात
6	आशुलिपिक	C	स्थाई		अराजपत्रित	2	2	0	29200-92300	उपनल के माध्यम से कार्यरत
7	कनिष्ठ सहायक	C	स्थाई		अराजपत्रित	3	2	1	21700-69100	संविदा/उपनल के माध्यम से कार्यरत
8	वाहन चालक	D	आटससोर्स पद		अराजपत्रित	3	2	1		आटससोर्स का पद है वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्यरत
9	अनुसेवक	D			अराजपत्रित	5	5	-		आटससोर्स का पद है वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्यरत
10	चौकीदार	D	दैनिक पारिश्रमिक		अराजपत्रित	1	1	-		दैनिक पारिश्रमिक
कुल योग						**20**	**15**	**5**		